न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः 96/2015

रज्जु दिनांकः 18/06/2015

निर्णय दिनांक : 17/11/2017

1. जगदीश पुत्र कालू
2. पप्पूलाल पुत्र छीतर

   समस्त जाति रैगर निवासीः गोपालपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. सुखदेव पुत्र कालू
2. कालू पुत्र स्व. भागीरथ
3. शंकर पुत्र छीतर
4. राधेश्याम पुत्र छीतर
5. भागचंद पुत्र छीतर
6. बनवारी पुत्र छीतर
7. छीतर पुत्र स्व. भागीरथ
8. मोहनलाल पुत्र स्व. भागीरथ
9. रामस्वरूप पुत्र स्व. भागीरथ
10. प्रहलाद पुत्र स्व. किशन
11. सुरेश पुत्र स्व. किशन
12. रामा देवी पत्नि स्व. किशन
13. काना पुत्र डूंगा जाति रैगर निवासीः गोपालपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
14. तहसीलदार तहसील फागी, जिला जयपुर।
15. नायब तहसीलदार माधोराजपुरा/उप पंजीयन माधोराजपुरा उप तहसील माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

16. प्रभु पुत्र नानगा जाति रैगर निवासीः ग्राम गोपालपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

----अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 16/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी द्वारा खातेदार कालू, छीतर, किशन, रामस्वरूप, मोहनलाल पिसरान भागीरथ खसरा नंबर 200, 914 कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा से उनका 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.07.1997 को क्रय किया था जिसके पश्चात प्रार्थी क्रय की गयी 1/2 हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है लेकिन विक्रय पत्र दिनांक 15.07.1997 के अनुसार प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकन नहीं हुआ है। प्रार्थी अभी हाल ही में अपनी क्रयशुदा आराजी पर राज्य सरकार से मिलने वाले सहायता, लोन, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल ली तो प्रार्थी को अपने पक्ष में विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तकरण नहीं खुलने व अपनी क्रयशुदा आराजी पर मान्य न्यायालय द्वारा स्थगन दर्ज होने की जानकारी हुयी। मान्य न्यायालय में विचाराधीन वाद/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में पक्षकार कायम है परन्तु प्रार्थी/वादी प्रार्थी के विरूद्व कोई अनुतोष चाहा है लेकिन प्रार्थी पक्षकार कायम होने के कारण उसके हिस्से 1/2 पर भी स्थगन दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी के पक्ष में अपने विक्रय पत्र दिनांक 15.07.1997 के अनुसार नामान्तकरण नहीं खोला जा रहा है जिससे प्रार्थी को काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। मान्य न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 18.06.2015 को संशोधित किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 15.07.1997 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण खोले जाने की स्वीकृति न्यायहित में दिलवाया जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर स्थगन आदेश दिनांक 18.06.2015 में संशोधन

किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 15.07.1997 के अनुसार नामान्तकरण खोले जाने के आदेश फरमाये जावे।

वकील प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 16 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील अप्रार्थी/प्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थीगण/अप्रार्थी संख्या 11 व 12 ने एक अन्य प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी इसी संबंध में इस आशय का प्रस्तुत किया विवादित आराजी खसरा नंबर 200, 914 ग्राम गोपालपुरा स्थित आराजी भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीगण का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्मजात हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 16 द्वारा कूटरचित विक्रय पत्र दिनांक 15.07.1997 को प्रार्थीगण के पिता व पति स्व. किशन की मृत्यु के 9 माह पश्चात पंजीबद्व करवाया विक्रय पत्र है जिससे क्रेता को बमुकाबले प्रार्थीगण कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है क्रेता अप्रार्थी संख्या 16 को कूटरचित विक्रय पत्र दिनांक 15.07.1997 के आधार पर नामान्तकरण खुलवाये जाने का अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने सक्षम न्यायालय सिविल जज फागी के यहां कूटरचित विक्रय पत्र को निरस्त करने हेतु वाद उनवानी सुरेश बनाम प्रहलाद वगैराह प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खुलवाने का क्रेता अधिकारी नहीं है। मान्य न्यायालय के समक्ष पक्षकारान के खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद विचाराधीन है व समक्ष सिविल न्यायालय में भी वाद विचाराधीन होने से अप्रार्थी संख्या 16 के हक में विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खोले जाने के आदेश प्रदान करना न्यायिक नियमो के विपरीत है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण नहीं खोले जाने के आदेश पारित किये जावे।

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

वकील प्रार्थीगण/अप्रार्थी संख्या 11 व 12 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील अप्रार्थी/प्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी, जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी, वाद पत्रावली इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मैने यह पाया कि प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजीयात में अपने हिस्से की खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है।

वादग्रस्त आराजीयात में से कुछ आराजीयात प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 16 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.07.1997 के क्रय की है एवं इसी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी. पी.सी प्रस्तुत कर, नामान्तकरण खुलवाये जाने का अनुतोष चाहा है।

वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में विक्रय पत्र दिनांक 15.07.1997 फर्जी होने एवं इस बाबत सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने का कथन कर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य बताया है।

प्रकरण के संपूर्ण तथ्यो पर गौर करने पर मेरे द्वारा यह पाया गया कि पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजीयात बाबत विवाद है। मेरे विनम्र मत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विक्रय पत्र दिनांक 15.07.1997 के आधार पर नामान्तकरण खोले जाने के आदेश दिये जाने से प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित हो सकती है। न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17/11/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जोबनेर)